2007: सीजीएचसी:10305

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**दांडिक अपील संख्या 9/2003**

**अपीलकर्ता (जेल में)** - यदु कुमार पटेल पिता राधे लाल पटेल उम्र लगभग 22 वर्ष,

निवासी बरना, थाना अर्जुनी,जिला - धमतरी (छत्तीसगढ़)

// **बनाम** //

**प्रत्यर्थी** - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: कलेक्टर जिला धमतरी

***(दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील)***

---

***प्रस्तुत - अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण कोचर***

***राज्य / प्रत्यर्थी की ओर से श्री अरुण साव शासकीय अधिवक्ता***

---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

***मौखिक निर्णय***

***(16.5.2007)***

***सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश***

1. यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 274/ 2002 में पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश दिनांक 30.11.2002 के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके तहत उक्त न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी मानते हुए उसे 10 वर्ष के लिए सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी,जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष के लिए सश्रम कारावास भुगतना होगा।
2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 27.04.2002 को दोपहर लगभग 12:00 बजे अभियोक्त्री (अ.सा.-11) अपने खेतों में लगे मोटर पंप के पास नहाने गई थी। नहाने के बाद, जब वह कपड़े पहन रही थी, तो यह अपीलकर्ता वहाँ आया,

अभियोक्त्री को पकड़ लिया और उसके कपड़े उतारने के बाद,उसे पंप के पास ( झाला में जो एक छोटी सी झोपड़ी थी ) अभियोक्त्री को खाट पर लिटा दिया और उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए। जब अभियोक्त्री ने शोर मचाया,तो शत्रुघन (अ.सा.2) , जिसका खेत भी पास के इलाके में है,वहाँ आया और देखा कि अपीलकर्ता अभियोक्त्री के ऊपर लेटा हुआ था,जो झाला में पड़ी खाट पर लेटी हुई थी। यह देखकर अपीलकर्ता घटनास्थल से भाग गया। शत्रुघन, और इसके तुरंत बाद पुष्पा बाई, फूलकुवंर और सावित्री नाम की तीन महिलायें भी घटनास्थल पर पहुंची और अभियोक्त्री को उनके घर ले गई। अभियोक्त्री के पिता एक शादी में शामिल होने गए थे। उन्हें शादी वाले घर से बुलाया गया अभियोक्त्री ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद अभियोक्त्री ने उसी दिन लगभग दोपहर 3:00 बजे रिपोर्ट (प्रदर्श पी - 15) दर्ज कराई।

3. अन्वेषण के दौरान अभियोक्त्री को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया और डॉ.श्रीमती आशा त्रिपाठी (अ. सा.-3) ने उसकी परीक्षण की और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी - 7) तैयार की उनके अवलोकन के अनुसार अभियोक्त्री की उम्र लगभग 13 वर्ष थी। उसके द्वितीयक यौन लक्षण पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे।सहायक बाल और जघन बाल बहुत कम थे और उसके स्तन भी विकसित नहीं हुए थे। आंतरिक जांच में उन्होंने पेरिनियम पर सूखा खून पाया लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे। योनि में 1/6” ×1/4” माप का एक खरोंच का निशान था। योनि सूजी हुई थी और रंग में लाल थीं और वह सूजे हुए हिस्से को छूने पर दर्द की शिकायत कर रही थी। योनि में कुछ सफेद स्राव भी देखा गया था। हांलाकि अभियोक्त्री के योनि द्वार पर स्थित पतली झिल्ली (हाइमन) फटी या टूटी नहीं थी। अभियोक्त्री के कपड़े जब्त (प्रदर्श पी – 2) उसके कक्षा पांचवीं की अंकसूची (प्रदर्श पी – 4) और स्थानांतरण (प्रदर्श पी – 5) भी जब्त कर लिए गए। (प्रदर्श पी – 3) के तहत पाठशाला का प्रवेश पंजी भी जब्त कर लिया गया और उसके संबंधित पृष्ठ की प्रतिलिपि (प्रदर्श पी – 13) के रूप में प्राप्त की गई। इस प्रवेश पंजी और पाठशाला के अन्य प्रमाण पत्रों के अनुसार उसकी जन्म तिथि 17.2.1990 थी,जिसके अनुसार उसकी आयु लगभग 12 वर्ष, 2 महीने और 10 दिन होगी। घटनास्थल नजरीनक्शा (प्रदर्श पी – 6) के तहत तैयार किया गया था। अपीलकर्ता यदु कुमार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया डॉ. डी.एस. देव (अ. सा.- 8) ने उसकी चिकित्सकीय जांच भी की, जिन्होंने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी – 11) तैयार की, जिसके अनुसार वह यौन संबंध बनाने में सक्षम था।

4. औपचारिक अन्वेषण पूरी होने के बाद अपीलकर्ता के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धमतरी के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया ,जहाँ से मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी के न्यायालय को स्थानांतरित हुआ, जहाँ सुनवाई हुई और दिनांक 30-11-2002 को दोषसिद्धि और दंडादेश का आक्षेपित निर्णय पारित किया गया। अपीलकर्ता को दिए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के इसी निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ता ने यह अपील प्रस्तुत की है।

5. अपीलकर्ता की दोषसिद्धि अभियोजन पक्ष (अ. सा. -11) अभियोक्त्री साक्ष्य के आलोक में ,शत्रुहन (अ.सा. -2) की गवाही और उसके माता पिता के सहायक साक्ष्य तथा डॉ.श्रीमती आशा त्रिपाठी (अ.सा. -3)के साक्ष्य पर आधारित है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि घटना के दिन अभियोक्त्री की आयु लगभग 12 वर्ष और 2 महीने 10 दिन था, उसके बाद उन्होंने यह भी निष्कर्ष दर्ज किया है, कि अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए गए थे ,इस प्रकार अपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपराध का दोषी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोक्त्री की जन्मतिथि से संबंधित निष्कर्ष पर विवाद नहीं किया है। उन्होंने केवल एक मुद्दा उठाया कि अभियोक्त्री की चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उसकी हाइमन बरकरार थी, इसलिए यह प्रवेशन का मामला नहीं था, इस तरह, अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (1) के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उनका कहना है की अधिक से अधिक, वह प्रवेश करने के प्रयास का मामला हो सकता है और अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 376/ 511 के अंतर्गत आएगा। वैकल्पिक रूप से , वह यह भी तर्क दिये है कि अपीलकर्ता को दी गई सजा यानी 10 साल का सश्रम कारावास इस मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में बहुत कठोर है जिसे कम से कम किया जा सकता है, अधिमानतः अपीलकर्ता द्वारा पहले से ही बिताए गए अवधि तक जो लगभग 5 साल है।

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया। वह विचरण न्यायालय द्वारा दी गई सजा और दोषसिद्धि के फैसले का समर्थन करते हैं।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध का संबंध है, अभियोक्त्री (अ. सा.-11) ने बयान दिया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह अपने खेत में लगे मोटर पंप के पास नहाने गई थी और नहाने के बाद जब उसने कपड़े पहने , तो अपीलकर्ता वहाँ आया, उसे पकड़कर मोटर पंप के पास झाले में पड़ी चारपाई पर पटक दिया और उसके कपड़े उतारने के बाद, उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए। उसने यह भी कहा है कि जब उसने शोर मचाया तो शत्रुघ्न (अ. सा.-2) वहाँ आया और उसने घटना देखी, उसने आगे बताया कि तीन अन्य महिलाएं पुष्पाबाई (अ. सा. -13) फूलकुंवर (अ. सा. -14) और सावित्री भी घटनास्थल पर आयी और उसे घर ले गई । उसने आगे बताया कि उस समय उसके पिता मौजूद नहीं थे,जब उसके पिता आए तो उसने उन्हें पूरी बात बताई और उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अभियोक्त्री की इस गवाही की पुष्टि शत्रुघ्न (अ. सा. -2) के साक्ष्य से होती है,जिसने बताया कि जब उसने अभियोक्त्री की आवाज़ सुनी, तो वो झाला की ओर गया और उसने देखा कि अपीलकर्ता अभियोक्त्री के ऊपर लेटा हुआ था और दोनों एक चारपाई पर थे। उन्होंने अपीलकर्ता से बात की कि वह ऐसा कैसे कर रहा है? जिस पर अपीलकर्ता खाट से उतरकर भाग गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अन्य दो गवाहों, पुष्पाबाई और फूलकुंवर से भी क्रमशः (अ. सा.-13) और (अ. सा. -14) के रूप में पूछताछ की गई, लेकिन वे अपने बयान से पक्षद्रोही हो गई। अभियोक्त्री से लंबी प्रतिपरीक्षा की गई और उससे यौन संबंध बनाने के तरीके से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए, लेकिन उसके साक्ष्य से यह पता चला कि उसके अनुसार अपीलकर्ता ने उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए, पूर्ण प्रवेशन किया और उसके बाद उसे अकेला छोड़ दिया।

11. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह मुद्दा उठाया कि यह बलात्कार या प्रवेशन का मामला नहीं था क्योंकि अभियोक्त्री कि चिकित्सकीय जांच परीक्षण के अनुसार अभियोक्त्री की हाइमन बरकरार थी और निजी अंग पर चोंट केवल बलात्कार करने या प्रवेशन करने का प्रयास करने का संकेत देती है और ऐसी स्थिति में, अपीलकर्ता के खिलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध नहीं बनता।

12. ***<u>तारकेश्वर साहू बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड)</u>*** *<u>के मामले में</u>* ***<u>(2006) 8 एस सी सी 560,</u>*** *<u>में</u>* प्रकाशित की गई सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 10 के अनुसार माना की भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत उसमें इंगित छह श्रेणियाँ अपराध के मूल तत्व है। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि उक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में,जहाँ अभियोक्त्री की आयु 12 वर्ष थी, उसकी सहमति अप्रासांगिक थी। अपीलकर्ता उसके साथ लैंगिक संभोग करने के आशय से उसे जबरन उसकी गुमटी में ले गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय धारा 375 के तहत अपराध का महत्वपूर्ण घटक प्रवेशन है जो उक्त मामले में पूरी तरह से अनुपस्थित है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत कोई अपराध नहीं किया जा सकता है।जब तक कुछ हद तक प्रवेश ना हुआ हो, तब तक यह स्पष्ट नहीं होता किसी भी सीमा तक प्रवेश के अभाव में, वह अपीलकर्ता के अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के दायरे में नहीं लाएगा। इसलिए बलात्कार के आरोपों को साबित करने के लिए मूल तत्व बल के साथ कृत्य को अंजाम देना है। अन्य महत्वपूर्ण घटक लेबिया मेजोरा या वाल्व या प्यूडेंडा के भीतर पुरुष अंग का प्रवेश है, वीर्य के किसी भी उत्सर्जन के साथ या उसके बिना या वहाँ तक कि पीड़िता के निजी अंग को पूरी तरह से आंशिक रूप से या थोड़ा सा प्रवेश करने का प्रयास भी भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 375 के प्रमाण के लिए पर्याप्त किया। सर्वोच्च न्यायालय ने ***<u>उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बाबुल नाथ (1994) 6 एस सी सी 29</u>*** में प्रकाशित के मामले में अपने द्वारा दिए गए पहले के निर्णय को भी संदर्भित किया । उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 375 के तहत अपराध के मूल तत्वों से निम्नलिखित शब्दों में सुलझाएं थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कंडिका 8. यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय दंड की धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करती है और धारा 375 का स्पष्टीकरण इस प्रकार है

" स्पष्टीकरण - बलात्कार के अपराध के लिए आवश्यक यौन संभोग घटित करने के लिए प्रवेश पर्याप्त है"

*"ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि बलात्कार के आरोप को साबित करने के लिए आवश्यक तत्व बल और प्रतिरोध के साथ*

*कृत्य को अंजाम देना है। बलात्कार का अपराध साबित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और ना ही उससे जुड़ी स्पष्टीकरण में यह आवश्यक है, की अभियोक्त्री पिड़िता के गुप्तांग में लिंग का पूर्ण प्रवेश होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, बलात्कार का अपराध गठित करने के लिए क्योंकि आवश्यक नहीं है की वीर्य के स्खलन और हाइमन के टूटने के साथ पुरुष अंग का पूर्ण प्रवेश हो वीर्य के स्खलन के साथ या उसके बिना लेबिया मेजोरा या वाल्व या प्यूडेंडा के भीतर पुरुष अंग का अधिक या मामूली प्रवेश या वहां तक कि पीड़िता के गुप्तांग में प्रवेश का प्रयास भी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 375 और 376 के प्रयोजन के लिए पर्याप्त होगा। ऐसा होने पर गुप्तांगों को कोई चोट पहुँचाए बिना यह वीर्य के कोई दाग छोड़े बिना भी कानूनी तौर पर बलात्कार का अपराध करना पूरी तरह संभव है। लेकिन जैसा कि स्पष्ट उल्लेख किया गया है, हमारे समक्ष उत्पन्न मामले में पर्याप्त से अधिक साक्ष्य मौजूद हैं, जो सकारात्मक रूप से दर्शाते हैं की पीड़िता के साथ यौन प्रड़ताणन हुई थी और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था, जिसके बिना उसे उक्त प्रकृति की चोटें नहीं लगती जो उसकी जांच करने वाले डॉक्टर द्वारा उसके निजी अंग पर पाई गई थी"*

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इसमें केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक अन्य निर्णय का भी उल्लेख किया गया ***केरल राज्य बनाम कुंडुमकारा गोविन्दन*** *में प्रकाशित की गई* ***1969 Cri. L. J. 818*** *के* मामले में जिसमें उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की

> *" भा.द.वि. की धारा 376 के तहत अपराध का मूल बलात्कार है और यह एक यौन संभोग की परिकल्पना करता है। "संभोग" का अर्थ यौन संबंध है। इसे स्वतंत्र संगठन के सदस्यों द्वारा पारस्परिक लगातार कार्यवाही के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक रूपक द्वारा "संभोग" शब्द "वाणिज्य" शब्द की तरह लिंगों के संबंध पर लागू होता है। संभोग में कुछ स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमित वस्तुओं के लिए एक संगठन के सदस्य द्वारा दूसरे संगठन का अस्थायी दौरा होता है। आने वाले संगठन का प्राथमिक उद्देश्य यौन संकट के परिणामस्वरूप नसों की रोकथाम के माध्यम से उत्साह प्राप्त करना है। जब तक आने वाले सदस्य को कम से कम आंशिक रूप से गई हुई संगठन द्वारा कवर नहीं किया जाता है, तब तक कोई संभोग नहीं है, ना है,*

*क्योंकि संभोग पारस्परिकता को दर्शाता है जांघों के बीच संभोग में आने वाले पुरुष अंग को कम से कम आंशिक रूप से जांघों द्वारा आच्छादित किया जाता है, जांघों को एक साथ और तंग रखा जाता है"*

14. इन सभी निर्णयों का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 13 में कहा की

*"बलात्कार के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत प्रवेश के चिकित्सकीय। साक्ष्य की आवश्यकता होती है और ऐसा हो सकता है कि योनि द्वार की झिल्ली बरकरार रहे। धारा 375 के स्पष्टीकरण के अनुसार योनि मे लिंग को प्रवेश मात्र बलात्कार का अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषसिद्धि के लिए मामूली प्रवेश भी पर्याप्त है"*

15. प्रवेशन के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संक्षिप्त ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी के अनुसार "प्रवेशन" का अर्थ है "अंदर या उसके माध्यम से प्रवेश करना, गुजरना"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. कम उम्र की लड़की के मामले में, लिंग प्रवेशन के दौरान हाइमन का फटना आम बात नहीं है। जिन मामलों में हाइमन गहराई में स्थित होती है, वहाँ लिंग प्रवेश होने पर भी यह फट नहीं सकती। जबरन लिंग प्रवेश के प्रयास की स्थिति में भी पीड़ित की हाइमन के न फटने की संभावना रहती है। खासकर जब वह गहराई में स्थित हो। योनि पर लालिमा और सूजन का होना कम से कम इस बात का संकेत है कि या तो पूर्ण लिंग प्रवेश हुआ है, या आंशिक लिंग प्रवेश हुआ है या फिर पीड़ित के इच्छा विरुद्ध जबरन लिंग प्रवेश का प्रयास किया गया है। मूडी ने अपनी चिकित्सा न्यायशास्त्र में लिखा है कि छोटे बच्चों में, हाइमन आम तौर पर नहीं फटती, बल्कि लाल और संकुचित हो सकती है साथ ही लाबिया में सूजन और चोट भी लग सकती है। यदि अत्यधिक बल का प्रयोग किया जाता है तो अक्सर फ़ोरसेट और पेरीनियम में घाव हो जाता है। कृपया ***मूडी की चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान के 23वां संस्करण का पृष्ठ 928*** देखें।

17. ***अमन कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य*** *में प्रकाशित* ***2004 Cr. L. R. (SC)207*** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 07 में यह टिप्पणी की गई है कि,

*"बलात्कार के अपराध के लिए योनिछिद्र का फटना किसी भी तरह से आवश्यक नहीं है।योनिद्वार में हल्का सा प्रवेश भी बलात्कार का*

*अपराध बनाने के लिए पर्याप्त है और योनिछिद्र का फटना आवश्यक नहीं है। हिंसा साथ या बिना हिंसा के योनिद्वार में प्रवेश उतना ही बलात्कार है जितना कि योनिद्वार में प्रवेश। विधि में केवल प्रवेश के प्रमाण की आवश्यकता होती है और यह योनिछिद्र के अक्षुण्ण रहने पर भी हो सकता है। प्रवेशन के साथ ही योनिक्रिया पूर्ण हो जाती है। यह सर्वविदित है कि अभियोक्त्री को सह अपराधी नहीं माना जा सकता और इसलिए, उसकी गवाही को बलात्कार के अपराध में सह अपराधी की गवाही के बराबर नहीं माना जा सकता। जननांगों की जांच में योनिछिद्र की स्थिति सबसे विश्वसनीय सुराग प्रदान करती है। योनिछिद्र की जांच करते समय निष्कर्षों को कोई महत्त्व देने से पूर्व कुछ शारीरिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखना चाहिए। योनिछिद्र का आकार और बनावट परिवर्तनशील होती है। यह भिन्नता कभी- कभी बिना चोट के प्रवेशन की अनुमति देता है। यह छिद्र के विशिष्ट आकार या बढ़ी हुई लोच के कारण संभव है। दूसरी ओर कभी -कभी योनिछिद्र अधिक दृढ़, कम लचीला हो सकता है और पहले ही खींच जाता है और फट जाता है। इस प्रकार, अपेक्षाकृत कम बलपूर्वक प्रवेश से सामान्यतः बलपूर्वक प्रयास से होने वाली चोटें नहीं लग सकती। हाइमन के संबंध में शारीरिक विशेषता जो विचारणीय है वह उसकी शारीरिक स्थिति है। सकारात्मक महत्व में हाइमन के बाद लेकिन आवृत्ति में उससे भी अधिक या लेबिया मेजोरा पर होने वाली चोटें ये अर्थात लेबिया मेजोरा पुरुष अंग द्वारा सबसे पहले अनुभव की जाती है। इन पर कुंद बलपूर्वक प्रहार किए जाते हैं, जो अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त जोश और बल पर निर्भर करता है और पीड़िता द्वारा प्रतिकार किया जाता है । इसके अलावा, शरीर पर अन्यत्र चोटों के निशान के लिए महिलाओं की जांच एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। बलात्कार का अपराध स्थापित करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वीर्य स्खलन और हाइमन के फटने के साथ लिंग का पूर्ण प्रवेश हो, वीर्यस्खलन के साथ या उसके बिना योनि या प्युडेंडम के लघु भागोंष्ठो के भीतर पाश्विक प्रवेश विधि में परिभाषित बलात्कार का अपराध स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। किसी अपराध में प्रवेश की गहराई महत्वहीन होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय है"*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों और अन्य चिकित्सकीय विधि निर्णयों के आलोक में, यह नहीं माना जा सकता कि चूँकि लड़की की योनिछिद्र बरकरार थी, इसलिए यह आंशिक या पूर्ण प्रवेश का मामला नहीं था और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपराध नहीं बनता। अन्य परिस्थितियां जैसे अभियोक्त्री का साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शी का साक्ष्य और सहायक चिकित्सकीय साक्ष्य, जो अभियोक्त्री के गुप्तांग पर चोटों को दर्शाते हैं। यह स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में, यह आंशिक प्रवेश का मामला था और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपराध बनता है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क पर बल नहीं है और विचार नहीं किया जा सकता।

19. अंत में सजा की अवधि पर आते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ***छत्तीसगढ़ राज्य बनाम डेरहा*** *में प्रकाशित* ***(2004) 9 एस सी सी 699*** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पारित न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया। उक्त मामले में लगभग 8 वर्ष की आयु की एक बालिका के साथ बलात्कार किया गया था और घटना के दिन अभियुक्त की आयु लगभग 18 वर्ष थी और वह उस पर लगाई गई सजा के परिणामस्वरूप लगभग 6 ½ वर्ष का कारावास भी काट चुका था और उसका एक परिवार भी था। ऐसी परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के कंडिका 8 के तहत, राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए और उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए, सजा को 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष कर दिया।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अपराध और दंड के बीच अनुपात का सिद्धांत "न्यायसंगत दंड" द्वारा शासित होता है। यह सिद्धांत आपराधिक दंड का आधार है, जो अंततः अपराधी को दंड के रूप में दिया जाता है। व्यक्ति को वास्तव में जो दंड मिलना चाहिए वह अपराध करने के लिए होना चाहिए यही इसका अंतर्निहित सिद्धांत है। दण्ड अनुपातहीन रूप से बड़ा नहीं होना चाहिए वह "न्यायसंगत दंड" का उपप्रमेय है, जो उसी सिद्धांत द्वारा शासित हैं, जो कहता है कि अपराध के बिना दंड नहीं हो सकता और इस सिद्धांत के पीछे मूल तत्व अपराध और दंड के बीच का अनुपात है। अपराध की गंभीरता जितनी कम होगी, दंड उतना ही कम होगा और अपराध की गंभीरता जितनी अधिक होगी, दंड उतना ही अधिक होगा, जो अनुपात निर्धारित करने के लिए सहायक कारकों के अधीन है। हालांकि ये सभी लागू विधि द्वारा विशेष रूप से प्रदत्त वैधानिक दायित्वों के अधीन है।

21. प्रस्तुत मामले में यह स्वीकार किया जाता है कि घटना के दिन अपीलकर्ता कि आयु लगभग 22 वर्ष थी और लड़की की आयु 12 वर्ष से 13 वर्ष के बीच थी। अपीलकर्ता अपनी गिरफ्तारी की पहली तिथि अर्थात 8-5-2002 से जेल में हैं, इस प्रकार वह लगभग पांच वर्ष की सजा काट चुका है और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मैं यह मानता हूँ कि उनकी सजा को 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष करना उचित होगा, जो न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगा, क्योंकि यह "न्यायसंगत दंड" होगा।

22. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1)के अंतर्गत अपीलकर्ता को दी गई दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है तथापि, उसकी सजा 10 वर्ष के सश्रम कारावास से घटाकर 7 वर्ष कर दी गई है। 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा भी घटाकर 5000 रुपये कर दी गई है। जुर्माना अदा न करने पर अपीलकर्ता को एक वर्ष और सश्रम कारावास भोगना होगा। यदि जुर्माने की राशि जमा कर दी जाती है, तो वह सत्र न्यायालय के निर्देशानुसार, आपेक्षित निर्णय के कंडिका 36 के अनुसार अभियोजन पक्ष (अ. सा. -11) को देय होगी। हालांकि कंडिका 36 में उल्लेखित 8000 रुपये की राशि को 5000 रुपये पढ़ा जाएगा। अपीलकर्ता सजा मुजरा कराने का हकदार होगा और वह उपरोक्त कारावास की सजा पहले ही भुगत लेने के कारण विधि द्वारा अनुमन्य किसी भी कानूनी छूट का हकदार होगा।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**सही /-**

**सुनील कुमार सिन्हा,**

**न्यायाधीश**

**<u>अस्वीकरण</u>**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

**अनुवादक: छबि लाल (अधिवक्ता) व्यवहार न्यायालय गुंडरदेही,जिला-बालोद, (छ.ग.)**